मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक सी 3–8/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 01 जुलाई, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यपदेश.

विषयः–शासकीय सेवा में भरती हेतु मेन्युअल हिन्दी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र के स्थान पर कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रनाण पत्र को मान्यता देने तथा कम्प्यूटर डिप्लोमा की सूची में आई.टी.आई. के एक वर्षीय 'COPA' पाठ्यक्रमों को शामिल करने बाबत्।

संदर्भः–(1) इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 815/1397/1(3)/72, दिनांक 14.12.1972.
(2) इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक सी 3–11/08/3/एक, दिनांक 12.06.2009 एवं ज्ञापन क्रमांक सी 3–14/1/3/2010, दिनांक 10.09.2010.

—0—

उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 815/1397/1(3)/72, दिनांक 14.12.1972 एवं इसके परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर जारी अन्य ज्ञापनों द्वारा सहायक ग्रेड–3, मुद्रलेखक, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफरों के पदों पर नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद् अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र आवश्यक किया गया था। वर्तमान में टायपिंग संबंधी समस्त कार्य कम्प्यूटर पर संपादित किया जाता है। इसलिए अब शासकीय सेवाओं में मेन्युअल हिन्दी टायपिंग की अर्हता की अनिवार्यता का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः राज्य शासन एतद् द्वारा सहायक ग्रेड–3, स्टेनो टायपिस्ट, तथा स्टेनोग्राफर के पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :–

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक क्रमांक 815/1397/1(3)/72, दिनांक 14.12.1972 एवं इसके संदर्भ में समय–समय पर जारी ज्ञापनों द्वारा शासकीय सेवाओं में सहायक ग्रेड–3, स्टेनो टायपिस्ट एवं शीघ्रलेखकों के पदों पर मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद् तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से मेन्युअल हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने की अर्हता अनिवार्य की गई थी, अब यह अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

(2) कंडिका—1 में उल्लेखित पदों के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र के स्थान पर अब मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाता है।

(3) मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र की परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत किया जाता है, जो प्रत्येक 6 माह में परीक्षा आयोजित कर 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उक्त प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) उक्त नवीन व्यवस्था के तहत् उम्मीदवारों को कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समय लगेगा, इसलिए 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्व निर्धारित योग्यता (मेन्युअल टायपिंग प्रमाण पत्र) को भी मान्य किया जाएगा।

2/ इस विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 12.06.2009 एवं 10.09.2010 द्वारा सहायक ग्रेड—3, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर के पद पर सीधी भरती के लिए चार मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। **इनमें पांचवे क्रम पर शासकीय आई.टी.आई. द्वारा संचालित एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाता है।**

3/ उपरोक्त के फलस्वरूप सहायक ग्रेड—3, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर के पदों पर सीधी भरती हेतु व्यापम से 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होने के साथ—साथ निम्नांकित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :—

(1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(3) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।

(4) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।

(5) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।

4/ उपरोक्त संशोधित प्रावधानों के फलस्वरूप सहायक ग्रेड–3, स्टेनो टायपिस्ट एवं स्टेनोग्राफरों के लिए सीधी भरती की योग्यता निम्नानुसार है :—

पदनाम	निर्धारित योग्यता			
1	2	3	4	5
सहायक वर्ग–3	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण	इस परिपत्र के पैरा–3 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त वि.वि./संस्थाओं से एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा।	30 श.प्र.मि. की गति से व्यापम द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र।	—
स्टेनो टायपिस्ट	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण	इस परिपत्र के पैरा–3 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त वि.वि./संस्थाओं से एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा।	30 श.प्र.मि. की गति से व्यापम द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र।	हिन्दी शीघ्रलेखन में 80 शब्द प्रतिमिनिट की गति।
स्टेनो ग्राफर	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण	इस परिपत्र के पैरा–3 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त वि.वि./संस्थाओं से एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा।	30 श.प्र.मि. की गति से व्यापम द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र।	मान्यता प्राप्त संस्थाओं/परिषद् से 100 श.प्र.मि. की गति से शार्टहैण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

5/ उपरोक्त संशोधन अनुसार समस्त विभाग अपने भरती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करें। जब तक भरती नियमों में संशोधन नहीं हो जाता, इस परिपत्र में किये गये प्रावधानों की सीमा तक सभी सेवा भरती नियम यथासंशोधित माने जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक सी 3--8/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 01 जुलाई, 2013

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/ पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1.7.13

(प्रभा अग्रवाल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग